न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/165 दायरा दिनांक : 16.09.2022

उनवान

भूलीबाई बेवा कंवरलाल, जाति भील, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज0
.... अपीलांट

बनाम

1. कैलाश पुत्री कंवरलाल, जाति भील, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज0
2. कृष्णा पुत्री कंवरलाल, जाति भील, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज0
3. कालूलाल पुत्र कंवरलाल, जाति भील, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज0
4. छोटूलाल पुत्र कंवरलाल, जाति भील, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज0
5. प्रकाश पुत्र कंवरलाल, जाति भील, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज0
6. प्रेमबाई पुत्री कंवरलाल, जाति भील, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज0
7. उषा भील पत्नी बालचन्द, जाति भील, निवासी झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज.
8. कालीबाई पत्नी स्व0 प्रदीप, जाति भील, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज0
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज0
10. आयुक्त नगर परिषद झालावाड
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री नीलोफरस्वादी अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 10 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 20.06.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 880/दावा/2022 निर्णय दिनांक 03.08.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिया अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 183, 183–बी, 188, 209, 88, 89, 91, 92ए, 53, 53–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम झालावाड पटवार हल्का झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज0 में खाता संख्या नया 69 पुराना 57 के खसरा नम्बर 1654/2813 रकबा 0.8219 एक किता स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय दिनांक 03.08.2022 से वाद वादीगण मय खर्चा वकील प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आर्डर–7 रूल–11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र मय खर्चा खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि मातहत न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है, जो अपास्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय ने दावे को विधिवत सुने बिना ही निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्वांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने आर्डर 7 नियम 11 व धारा 151 सी. पी. सी. को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादिया का दावा खारिज कर दिया है। विवादित आराजी शामलाती आराजी है तथा कृषि आराजी है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 02 उप धारा 2 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की महिला को उसके पिता की जायदाद में अधिकार प्राप्त नहीं है किन्तु हल्का पटवारी ने कंवरलाल की मृत्यु के बाद फौती इन्तकाल दर्ज किया जिसमें लड़कियों का नाम भी दर्ज कर दिया तथा कालीबाई भी दूसरी जगह नाते चली गयी जिस कारण उसको आराजी बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है। कालीबाई से उषा ने आराजी खरीद कर कृषि आराजी पर ही प्लाट काटना शुरू कर दिया आराजी का भूमि रूपान्तरण भी नहीं करवाया तथा आराजी शामलाती है जिसका विधिवत बंटवारा भी नहीं हुआ है। जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया तथा बिना तहकीकात किये ही निर्णय पारित कर दिया, जिस कारण अधीनस्थ

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री मनमाना है, परवर्स है तथा केप्रिशियस होने से अपास्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे एवं मातहत न्यायालय को दावे जवाब दावा लेकर तनकी कायम कर दस्तावेजात रिकार्ड पर लेकर, पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने ऑर्डर 7 नियम 11 सी पी सी के आधार पर दावा खारिज कर दिया। नगर परिषद को पक्षकार बनाने के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया जबकि हमने नगर परिषद को पक्षकार बनाया ताकि कोई कमी नहीं रहे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हमें सुनवाई व साक्ष्य का का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि नगर परिषद की तरफ से हमें पक्षकार ही नहीं बनाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह उचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 नियम 11 सी पी सी को स्वीकार करते हुए वाद खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद श्रवणाधिकार से बाहर होने का कथन करते हुए ऑर्डर 7 नियम 11 सी पी सी के आधार पर खारिज कर दिया। जमाबंदी संवत 2074–2077 में विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण के नाम शामलाती खाते में दर्ज है। जमाबंदी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम काश्तकार के रूप में दर्ज है।

प्रस्तुत वाद में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधि तथा तथ्य दोनों के मिश्रित प्रश्न थे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न मुख्य रूप से था कि क्या अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को पिता की भूमि में हक प्राप्त होता है ? साथ ही वादिनी द्वारा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का भी अनुतोष चाहा था। हमारी राय में जब न्यायालय के समक्ष विधि तथा तथ्य के मिश्रित प्रश्न उपस्थित हो तो न्यायालय को उभयपक्षों की सुनवाई कर साक्ष्य लेकर प्रकरण का निर्णय करना चाहिए ।

हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऑर्डर 7 नियम 11 सी पी सी के आधार पर वाद खारिज कर त्रुटि की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.08.2022 अपास्त किया जाता है और प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण को जवाब का अवसर देकर समुचित तनकीयात कायम कर, साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.08.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/06/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा